ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

न. 05 / 2015

उनवान

1. मालीराम पुत्र स्व0 श्री घीसाराम, जाति मीना, निवासी ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. उमराव सिंह पुत्र ईश्वर सिंह उर्फ ईशरा
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र उमराव सिंह
3. महेन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह
4. मनफूलसिंह पुत्र उमराव सिंह
5. सांवरा पुत्र भगवाना
6. हरशिव पुत्र भगवाना
7. भंवरलाल पुत्र भगवाना
8. मुकेश पुत्र भगवाना
9. प्रभाती देवी पत्नी भगवाना
10. हीरालाल उर्फ घनश्याम पुत्र महावीर
11. भगोती देवी पत्नी महावीर
12. राजु पुत्र मूलचन्द
13. फौजी पुत्र मूलचन्द
14. सन्तरा देवी पत्नी मूलचन्द
15. नाथूराम पुत्र ग्यारसीलाल
16. बलवीर पुत्र ग्यारसीलाल
17. बजरंग पुत्र ग्यारसीलाल
18. पांचुराम पुत्र ग्यारसीलाल
19. मिश्रीदेवी पत्नी ग्यारसीलाल
20. शायरसिंह पुत्र घीसाराम
21. बन्शीधर पुत्र घीसाराम
22. रामवतार पुत्र घीसाराम
23. रामसिंह पुत्र घीसाराम
24. प्रभातीदेवी पत्नी घीसाराम
25. मंगेज पुत्र सुल्तान
26. बनवारी पुत्र रामेश्वर
27. रामपाल पुत्र रामेश्वर
28. सीताराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.03 10:54:36 IST
Reason: SelfAttested

09.11.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर [illegible] है कि वाके राजस्व ग्राम डोला का बास, तहसील चौ[illegible] के हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 [illegible] 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.0[illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, जिस पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर लगान सरकारी अदा कर प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग कर प्रत्येक प्रकार से लाभ उठाता चला आ रहा है। वाद हाजा में खाता संख्या 104 की भूमियों में से उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमियां ही विवादग्रस्त

भूमियां है जिन्हें वाद हाजा में आगे चलकर भूमि विवादित के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वर्णित विवादित भूमि वादी तथा वाद के परफोरमल प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 28 का वादग्रस्त आराजीयात् पर आपसी मनवट के आधार पर बतौर खातेदार काश्तकार आराजी पर काबिज है तथा वादी ने अपने हक व आधिपत्य की वादग्रस्त आराजीयात् में वर्तमान में गेहूँ व जौ की फसल काश्त कर रखी है जो कि मौके पर मौजूद है।

वादग्रस्त आराजीयात् पर वादी अपने सह हिस्सादारान के साथ पूर्व में हुए मनबट के आधार पर अर्से दराज पूर्व से काबिज रहकर काश्त कर फसल बोकर काटकर प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने विवादित भूमि में होने वाली अपनी फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षार्थ अर्सा दराज करीब 8 वर्ष पूर्व से ही विवादित भूमि की उत्तरी सीमा पर स्वयं के खर्चे से लोहे के एंगिल गाड़कर कंटीले तारों की तारबन्दी कर रखी है तथा वादी विवादित भूमि की सिंचाई चाह खसरा नम्बर 275 से करता चला आ रहा है तथा विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 266 को कदीमी समय से वादी के पुश्तैनी रिहायशी खाम, घर बने हुए है जिनमें वादी अपने कृषि उपकरणों तथा पशु चारा इत्यादि रखकर अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है इस प्रकार वादी विवादित भूमि पर बतौर मालिक स्वामी काबिज रहकर काश्तकर प्राकृतिक उपज आदि प्राप्त कर विवादित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 19 ग्राम डोला का बास के रहने वाले वादी के आस पडौसी व्यक्ति है जो कि एक भू–माफिया गिरोह के आपराधिक प्रवृति के झगडालू व्यक्ति है जो कि एक नाजायज गिरोह बनाकर निर्बल काश्तकारों की भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण आदि विधि विरूद्ध कृत्य कर भूमियों को हड़पने व विधि विरूद्ध कृत्य करने वाले व्यक्ति है जिसके चलते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 वादी व विवादित भूमि के प्रति रंजिश व बदनियती रखते है इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 ने वादी के विरूद्ध एक कतई नाजायज गिरोह का गठन कर रखा है।

बिनाय दावा सर्वप्रथम दिनांक 04.01.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को हथियारों से लेस होकर मौके पर जबरिया विवादित भूमि की तारबाउण्ड्री को क्षतिग्रस्त कर विवादित भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने की कुचेष्टा करने पर तथा वादी द्वारा विरोध जाहिर करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 द्वारा शीघ्र ही जबरिया कब्जा करने की धमकी देने व उसके पश्चात् दिनांक 10.01.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 ने मौके पर आकर वादी के परिजनों के साथ मारपीट कर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया है जिसके बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थाना कालाडेरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2015 दर्ज हुई है जिस पर वाद कारण उचित होकर मौके पर लगातार जारी है। जिस पर वादी के लिये वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

अतः वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 विवादित भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट या दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें, ना ही विवादित भूमि पर खड़ी फसल को काटे तथा आवारा जानवरों को घुसाकर फसल को नुकसान कारित करें, ना ही विवादित भूमि की उत्तरी सीमा पर मौजूद हो रही तार बाउण्ड्री में किसी प्रकार की कोई नुकसान कारित करें, ना ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 विवादित भूमि में प्रवेश करें, ना ही विवादित भूमि पर या उसके किसी अंश पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण करें, ना ही वादी को विवादित भूमि या उसके किसी अंश से वादी को बेदखल करे। उक्त सभी कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन इत्यादि के जरिये करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.03 10:54:36 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट डोला का बास में पेश हुई।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

प्रार्थी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 20, 21, 26, 28 स्वयं उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है. कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 104 के हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.03 10:54:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. मालीराम पुत्र स्व0 श्री घीसाराम, जाति मीना, निवासी ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. उमराव सिंह पुत्र ईश्वर सिंह उर्फ ईशरा
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र उमराव सिंह
3. महेन्द्र कुमार पुत्र उमराव सिंह
4. मनफूलसिंह पुत्र उमराव सिंह
5. सांवरा पुत्र भगवाना
6. हरशिव पुत्र भगवाना
7. भंवरलाल पुत्र भगवाना
8. मुकेश पुत्र भगवाना
9. प्रभाती देवी पत्नी भगवाना
10. हीरालाल उर्फ घनश्याम पुत्र महावीर
11. भगोती देवी पत्नी महावीर
12. राजु पुत्र मूलचन्द
13. फौजी पुत्र मूलचन्द
14. सन्तरा देवी पत्नी मूलचन्द
15. नाथूराम पुत्र ग्यारसीलाल
16. बलवीर पुत्र ग्यारसीलाल
17. बजरंग पुत्र ग्यारसीलाल
18. पांचुराम पुत्र ग्यारसीलाल
19. मिश्रीदेवी पत्नी ग्यारसीलाल
20. शायरसिंह पुत्र घीसाराम
21. बन्शीधर पुत्र घीसाराम
22. रामवतार पुत्र घीसाराम
23. रामसिंह पुत्र घीसाराम
24. प्रभातीदेवी पत्नी घीसाराम
25. मंगेज पुत्र सुल्तान
26. बनवारी पुत्र रामेश्वर
27. रामपाल पुत्र रामेश्वर
28. सीताराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0

मुकदमा नम्बर :—05/2015

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain

Date: 2022.01.03 10:54:36 IST

Reason: SelfAttested

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल क[illegible] वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजानिब [illegible] दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को निर्देशित [illegible] जाता है कि विवादित भूमि हाल खाता संख्या 104 के हाल खसरा नम्बर 264 र[illegible] 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.68 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

कुल किता 8 का कुल रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम डोला का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.11.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.03 10:54:36 IST
Reason: SelfAttested